International Conference – 2025: Developed India @ 2047

Charting Multidisciplinary and Multi-Institutional Pathways for Inclusive Growth and Global Leadership held on 4th & 5th April, 2025

Organised by: IQAC - Gossner College, Ranchi

सामाजिक परिवर्तन, नागरिक समाज को गढ़ता प्रभावशाली उपकरण

डॉ0 बहालेन होरा

असिस्टेंट प्रोफेसर, राजनीति विज्ञान विभाग, मारवाड़ी कॉलेज ब्याज सेक्सन, राँची विश्वविद्यालय

Email: drbahalenhorobaxla@gmail.com

महत्त्वपूर्ण बिन्दु – लोकतांत्रिक, नागरिक अधिकार, सामाजिक परिवर्तन, व्यवस्था एवं नीतियाँ, विकास, नागरिक समाज, संगठन, चुनौतियाँ एवं समाधान

नागरिक समाज संगठन लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था की आधारशिला है। किसी भी सचेतक का या किसी मशीनरी में इंजन की तरह कार्य करता है। मस्तिष्क का प्रधान तत्त्व नागरिक समाज को कहा जा सकता है। नागरिक समाज संगठन कई भूमिकाएँ निभाते हैं। उनके द्वारा सरकारी नीतियों एवं कार्यों की निगरानी करते हैं। सरकार को मजबूत करने की बात हो या समाज में किसी सुधारात्मक नई व्यवस्था लाने संबंधी कवायद, नीति निर्माण में नागरिक समाज संगठनों की भूमिका नागरिकों के अधिकार चाहे वह 1776 के अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम हो, 1789 फ्रांसीसी राज्य क्रांति पुराने समय में प्लेटो अरस्तु और हाब्स, लॉक, रूसो, सभी ने नागरिक समाज की उपलब्धता और महत्त्व को समाज के अनिवार्य एवं प्रभावशाली रूप से उल्लेख किया है। नीति–निर्माण में नागरिक समाज संगठनों की भूमिका को नागरिकों के अधिकारों एवं उनके विकासात्मक मुद्दों को सुदृढ़ता से उठाने की ओर है। जॉन रॉल्स, लॉस्की, बोसाँके जैसे बहुत सारे विद्धानों ने भी इस बात को मान्यता दी है कि नागरिक समाज में अधिकार वे माँग हैं जिन्हें समाज स्वीकार करता है और राज्य लागू करता है। सामाजिक परिवर्तन नए समाज एवं नई व्यवस्था को गढ़ता हुआ आधारभूत और सदैव विद्यमान तथा हमेशा गतिशील रहने वाला उपकरण है। सूचना के अधिकार को लाने में जिस सजगता के लिए श्री अरविंद केजरीवाल (दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री एवं आइ0 आर0 एस0 सेवा के अधिकारी) न्यायिक सक्रियता के प्रबल सचेतक के रूप में जस्टिस पी0 एन0 भागवती, जस्टिस कृष्णा अयय्र, पर्यावरणीय मामलों को गति देने में सुंदरलाल बहुगुणा, समाजसेवी अभिकर्ता, न्यायधीश– एम0 सी0 मेहता, सामाजिक अभिकर्ताओं के रूप में मध्यप्रदेश में मेघा पाटेकर तो झारखण्ड में दयामनी बारला जैसे उत्कृष्ट नेतृत्त्वकर्त्ता लोगों द्वारा नागरिक समाज के नवनिर्माण की कोशिश में प्रतिनिधित्त्व दिया है। भारत में नागरिक समाज संगठन सामाजिक न्याय और मानवाधिकार, सरकारी नीतियों में पारदर्शिता और पर्यावरणी संरक्षण जैसे संवेदनशील विषयों पर कार्य करने वाले संगठनों में सेल्फ–सेंसरशिप की स्थिति उत्पन्न हो गई है। नागरिक समाज में चुनौतियाँ और योगदान नागरिक सामाजिक संगठन का लोकतांत्रिक वातावरण से बहुत घनिष्ट संबंध रहा है। 22 अप्रैल 2013 और 12 नवम्बर 2021 के बीच 1,59,107 आवेदन सूचना के अधिकार में ऑनलाइन किए गए। लगभग 9 लाख जनहित याचिका, सर्वोच्च न्यायालय में 1985 से 2020 के आँकड़ों के अनुसार दायर किए गए जो अनिवार्य रूप से गतिशिलता में बने हुए हैं।

सामाजिक परिवर्तन नागरिक समाज को गढ़ता उपकरण

सामाजिक परिवर्तन और नागरिक समाज एक गतिशील विषय है। सार्वभौमिक रूप से और झोदेश्य के साथ हमेशा ही चलायमान गति में सामाजिक परिवर्तन को हरेक समय में शताब्दी में, सामाजिक परिस्थितियों के सामाजिक, राजनीतिक आर्थिक, राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय सभी स्तरों पर सामाजिक परिवर्तन भौर नागरिक समाज वैश्विक स्तर पर चर्चा का विषय रहा है।

महत्त्वपूर्ण तथ्य यह है कि निरंतर हो रहे प्रत्येक कोशिशों के बावजूद जनसंख्या वृद्धि, जलवायु परिवर्तन, अपराधीकरण में विस्तार, मानवीय समाज में विसमानता में वृद्धि, अशिक्षा, गरीबी, बेरोजगारी, युवा समाज के लिए आर्दशवाद से वंचित होता समाज, जैसे हजारों विषय जिनपर गंभीरता से चर्चा होती है लेकिन से विषय इतने अधिक गतिमान और त्वरित परिवर्तनशील हैं कि जब तक इनपर आँकड़े आते और तथ्यों तथा प्रमाणों के आधार पर इनतक पहुंचते तब तक समस्याएं और भी विकराल होती और परिवर्तित होती प्रतीत होती है।

International Conference – 2025: Developed India @ 2047

Charting Multidisciplinary and Multi-Institutional Pathways for Inclusive Growth and Global Leadership held on 4th & 5th April, 2025

Organised by: IQAC - Gossner College, Ranchi

उदाहरण के तौर पर 2002 से शिक्षा के अधिकार की मौलिक अधिकारों के रूप में शामिल किया गया है। ताकि समाज में शिक्षा से वंचित बच्चों को मुख्य धारा में जोड़ा जा सकें । लेकिन अमूमन हरेक सभ्यता और समय में विकासात्मक मुद्दों को सुदृढ़ता से उठाने की ओर है। जॉन राल्स, लॉस्की, बोसाँके जैसे बहुत सारे विद्वानों ने भी इस बात को मान्यता दी है कि नागरिक समाज में अधिकार वे मांग है जिन्हें समाज स्वीकार करता है और राज्य लागू करता है। सामाजिक परिवर्तन नए समाज एवं नई व्यवस्था को गढ़ता हुआ आधारभूत और सदैव विद्यमान तथा हमेशा गतिशील रहने वाला उपकरण है। सूचना के अधिकार को लाने में जिस सजगता के लिए श्री अरविंद केजरीवाल (दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री एवं आइ. आर. एम. सेवा के अधिकारी) न्यायिक सक्रियता के प्रबल सचेतक के रूप में जस्टिस पी. एन. भागवती, जस्टिस कृष्णा अय्यर, पर्यावरणीय मामलों को गति देने में सुंदरलाल बहुगुणा, समाजसेवी अभिकर्ता, न्यायधीश एम.सी. मेहता, सामाजिक अभिकताओं के रूप में मध्यप्रदेश में मेधा पाटेकर तो झारखण्ड में दयामनी बारला जैसे उत्कृष्ट नेतृत्वकर्ता लोगों द्वारा नागरिक समाज के नवनिर्माण की कोशिश में प्रतिनिधित्व दिया है।

भारत में नागरिक समाज संगठन सामाजिक न्याय और मानवाधिकार, सरकारी नीतियों में पारदर्शिता और पर्यावरणी संरक्षण जैसे संवेदनशील विषयों पर कार्य करने वाले संगठनों में सेल्फ सेंसरभिप की स्थिति उत्पन्न हो गई है। नागरिक समाज में चुनौतियाँ और योगदान नागरिक सामाजिक संगठन का लोकतांत्रिक वातावरण से बहुत घनिष्ट संबंध रहा है। 22 अप्रैल 2013 और 12 नवम्बर 2021 के बीच 1,59,107 आवेदन सूचना के अधिकार में ऑनलाइन किए गए । लगभग 9 लाख जनहित याचिका, सर्वोच्च न्यायालय में 1985 से 2020 के आँकडों के अनुसार दायर किए गए जो अनिवार्य रूप से गतिशीलता में बने हुए हैं।

नागरिक समाज और सामाजिक परिवर्तन के बीच सदा विद्यमान रहने वाले तत्त्व मुद्दे और चुनौतियाँ –

- सामाजिक परिवर्तन और नागरिक समाज हमेषा एक दूसरे के पूरक रहे हैं।
- निरंतर नई जटिलताओं एवं नए गहराईयों में सामाजिक परिवर्तन को देखा है।
- सतत् और स्वाचालित ।

प्रत्येक परिवर्तन में समाज में कुछ निश्चत तत्त्वों की उपस्थिति ।

- भ्रष्टाचार
- भाईभतीजावाद
- लालफीताशाही
- श्रम के प्रतिफल में पूँजीपति वर्ग को लाभ एवं मजदूर वर्ग को समस्याओं के सामना करने की अत्याधिकता ।
- वस्तुस्थिति और वास्तविकता में समाज में सत्ता एवं नियंत्रण में ।

न्याय के क्षेत्र में अब फास्ट ट्रेक कोर्ट फी विद्यमानता है जो पहले की न्याय व्यवस्था में नहीं थी। लेकिन फिर भी लंबित मामलों की सूची रफ्तार के साथ आगे बढ़ रही है।

International Conference – 2025: Developed India @ 2047

Charting Multidisciplinary and Multi-Institutional Pathways for Inclusive Growth and Global Leadership held on 4th & 5th April, 2025

Organised by: IQAC - Gossner College, Ranchi

2022 में पूरे भारत में लंबित रहने वाली सभी कोर्ट केस की संख्या बढ़कर 5 करोड़ हो गई, जिसमें जिला न्यायालय[1] अदालती विषयों को 2 वर्गों में बाँटता है। सिविल और क्रिमिनल जिले एवं केंद्रीय न्यायालयों में 30 से भी अधिक वर्षों से लम्बित 169,000 मामले शामिल है।[2] ये तथ्य इन बातों को इंगित करते हैं कि सभी क्षेत्रों में संसाधनों की उपलब्धता के बावजूद उद्देश्य की प्राप्ति में असाधारण समस्याओं एवं परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। जैसे जब वैदिक युग या प्राचीन भारतीय इतिहास में न्याय की उपलब्धता आज के बनिस्पत सरल थी। वितरणात्मक न्याय के सिद्धांत है अनुसार आँख के बदले आँख का सिद्धांत साधारणतः प्रयोग में लाया जाता था । जहाँ दण्ड प्रत्यक्ष रूप से अपराधिक मामलों से जुड़े होते थे ।

रोमन समाज – में व्यवस्था में प्रभावशाली रूप से कानून को लागू किया जाता था, जब तक कि व्यवस्था बनी रहती थी।

उस प्राचीन समय में रोम में कोई पुलिस फोर्स रोम में नहीं थी। लेकिन मजिस्ट्रेट सार्वजनिक रूप से पुलिस के दायित्वों का निर्वहन करते थे । प्राचीन मिस्त्र – में कानून माअत Ma'at की अवधारणा पर आधारित थी, जो सामाजिक समानता, निश्पच्छता और परम्परामों पर आधारित थी ।

*2. "welcome to NJDG & National Judicial Data Grid nidg.ecourts-gov-in अभिगमन तिथि 2022&11&06